भूमिपूजन के 9 माह बाद भी ठप्प पड़ा काम

अब वंशकार समाज ने उठाई सामुदायिक भवन की मांग

छपारा नवभारत। नगर परिषद छपारा द्वारा विकास के बड़े-बड़े कार्यों की घोषणाऐं तो होती हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति इसके उलट नजर आ रही है। विगत 21 जून 2025 को करोड़ों रुपये के कार्यों का भूमिपूजन बड़ी धूमधाम से किया गया था, परंतु आज कई महीनों बाद भी अधिकांश कार्यों की ईंट तक नहीं रखी गई है। इसी सुस्ती और अनदेखी के बीच अब वंशकार समाज ने मोर्चा खोलते हुए अपनी मांगों को लेकर क्षेत्रीय विधायक को ज्ञापन सौंपा है।

करोड़ों के विकास कार्यों पर लगा ब्रेक

प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगर परिषद द्वारा लगभग 33 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया था। इसमें बैंनगंगा नदी पुल घाट मैदान के पास 74.51 लाख रुपये की लागत से विसर्जन कुंड, पार्क, शौचालय, गेट फेंसिंग, लाइटिंग और सीसी रोड का निर्माण होना था। विडंबना यह है कि मुख्य अतिथियों क्षेत्रीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, क्षेत्रीय व सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन एवं क्षेत्रीय विधायक ठाकुर रजनीश हरवंश सिंह के नाम की पट्टिकाओं पर नाम तो चमक रहे हैं, लेकिन जिस स्थान पर यह कार्य होने थे, वहां आज भी सन्नाटा पसरा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि घोषणाएं तो बड़ी-बड़ी की गई, लेकिन सुविधा के नाम पर चार साल पूरे होने को है पर अब तक कुछ नहीं मिला।

वंशकार समाज ने गाड़ा झंडा, सौंपा ज्ञापन

एक तरफ जहां सरकारी प्रोजेक्ट्स ठप हैं, वहीं दूसरी ओर वंशकार समाज छपारा ने 16 मार्च को एकजुट होकर अपने हक की आवाज बुलंद की है। समाज के लोगों ने एकत्रित होकर खाली पड़ी भूमि पर अपना झंडा गाड़ा और वहां सामुदायिक भवन (सामाजिक भवन) निर्माण की मांग की। समाज के प्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय विधायक ठाकुर रजनीश हरवंश सिंह को गृह ग्राम बर्रा में एक ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया कि उन्हें सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक व्यवस्थित भवन की नितांत आवश्यकता है।

जिला स्तरीय रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेन्टिसशिप मेले का आयोजन 18 को

नवभारत न्यूज

छिंदवाड़ा,16 मार्च. कलेक्टर हरेंद्र नारायन के निर्देशानुसार जिला रोजगार कार्यालय छिन्दवाड़ा एवं शासकीय महाविद्यालय तामिया द्वारा संयुक्त रूप से युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेन्टिसशिप मेले का आयोजन शासकीय महाविद्यालय तामिया में 18 मार्च बुधवार को प्रातः 11 से शाम 4 बजे तक किया गया है। रोजगार मेले में 16 कंपनियां उपस्थित रहेंगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपने रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, समग्र आई.डी. (अनिवार्य) एवं संपूर्ण डॉक्यूमेंट/रिज्यूम के साथ निर्धारित तिथि व समय पर संस्था में उपस्थित होकर रोजगार मेले का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शैलेश मिश्रा के मोबाइल नंबर-9584444086 से संपर्क किया जा सकता है। जिला रोजगार अधिकारी सुश्री माधुरी भलावी ने बताया कि रोजगार मेले में मेले में शामिल कंपनियों में हाईली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इंडिया प्रायवेट लिमिटेड, गुजरात द्वारा ऑपरेटर (पुरुष) पद के लिए 10वीं से 12वीं उत्तीर्ण, आईटीआई अथवा डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, आयु सीमा 18 से 30 वर्ष तथा वेतनमान 14500 से 21000 रुपये रहेगा। याजाकी इंडिया प्रायवेट लिमिटेड, गुजरात द्वारा असेंबली ऑपरेटर (महिला, पुरुष) पद हेतु 10वीं से 12वीं उत्तीर्ण, आईटीआई, डिप्लोमा धारकों के लिए 18 से 30 वर्ष आयु सीमा के साथ 18133 से 18826 रुपये वेतनमान दिया जाएगा।

सोलर मैन्युफैक्चर प्रायवेट लिमिटेड, गुजरात द्वारा ऑपरेटर (पुरुष) पद के लिए 10वीं से 12वीं उत्तीर्ण, आईटीआई योग्यता के साथ 18 से 30 वर्ष आयु सीमा तथा 15000 से 25000 रुपये वेतनमान निर्धारित है। इसी प्रकार एमआरएफ टायर्स प्रायवेट लिमिटेड, गुजरात द्वारा मशीन ऑपरेटर (महिला, पुरुष) पद के लिए स्नातक या डिप्लोमा योग्यता, आयु सीमा 18 से 30 वर्ष तथा वेतनमान 19500 से 20500 रुपये रहेगा। अपोलो प्रायवेट लिमिटेड, गुजरात द्वारा ऑपरेटर (पुरुष) पद हेतु 10वीं से 12वीं उत्तीर्ण, आईटीआई या डिप्लोमा योग्यता के साथ 18 से 30 वर्ष आयु सीमा तथा 16416 से 17416 रुपये वेतनमान निर्धारित है।

ट्राइडेंट ग्रुप प्रायवेट लिमिटेड बुधनी द्वारा मशीन ऑपरेटर पद के लिए 12वीं या स्नातक योग्यता, आयु सीमा 18 से 30 वर्ष तथा वेतनमान 12500 रुपये रहेगा। अंबुजा फाउंडेशन प्रायवेट लिमिटेड, छिंदवाड़ा द्वारा ट्रेनी पद हेतु 12वीं या स्नातक योग्यता, आयु सीमा 18 से 30 वर्ष तथा वेतनमान 9000 रुपये निर्धारित है। यूआईडीएआई टी फाउंडेशन, छिंदवाड़ा द्वारा ट्रेनी एसोसिएट पद के लिए 10वीं व 12वीं अथवा स्नातक योग्यता, आयु सीमा 18 से 30 वर्ष तथा वेतनमान 9000 रुपये रहेगा।

एक दिवसीय प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन

छिन्दवाड़ा. माँ नर्मदा जी के संरक्षण और जीवन दायिनी समस्त नदीयों के संरक्षण के प्रति समाज की जिम्मेदारी को लेकर रविवार को मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद छिंदवाड़ा द्वारा स्थानीय शासकीय पी.जी.कॉलेज छिंदवाड़ा में जल संरक्षण एवं पौधों का महत्व विषय पर जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत एक दिवसीय प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मां नर्मदा जी के उपासक दादा गुरुजी के परम स्नेही मां नर्मदा परिक्रमावासी आचार्य रविकांत शास्त्री एवं जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक अखिलेश जैन, परामर्शदाता राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पर्यावरण विद विनोद तिवारी, वरिष्ठ समाजसेवी श्यामलराव, परामर्शदाता श्रीमती लता नागले, श्रीमती तृप्ति सिंह, आशीष साहू सहित समाजसेवी डॉ.महेश बंदेवार, ओम प्रकाश मालवीय, परिक्रमावासी वेदाचार्य श्री कृष्णा, संत पुजारी संघ के उपाध्यक्ष राजेश शर्मा, वृक्ष मित्र रविन्द्र सिंह कुशवाह, शीतल शास्त्री एवं पंडित अजय शास्त्री सहित बड़ी संख्या में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के सीएमसी, एलडीपी पाठ्यक्रम के बीएसडब्ल्यू , एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां नर्मदे जी की छह मास की दादा गुरुजी जी के साथ परिक्रमा पूर्ण करके छिंदवाड़ा की धरा में प्रथम बार पधारे आचार्य रविकांत शास्त्री का जन अभियान परिषद की ओर से शाल श्रीफल एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया गया। इसके पूर्व श्री शास्त्री सहित समस्त मां नर्मदा परिक्रमावासियों ने कार्यक्रम में त्रिवेणी पौधे की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। स्वागत उद्बोधन में अखिलेश जैन ने सभी मां नर्मदा परिक्रमावासी तपस्वीजनों का शाब्दिक स्वागत करते हुए कहा कि जन अभियान परिषद के अध्यक्ष एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के कुशल मार्गदर्शन में पिछले वर्ष एवं इस वर्ष भी जल गंगा संवर्धन अभियान प्रारंभ होना है। जिसमें हम सभी जन अभियान परिषद से जुड़े लोग आम लोगों को साथ लेकर जल संरक्षण, जल शुद्धिकरण एवं नदी, नाले, तालाबों सहित समस्त जल स्त्रोत में स्वच्छता अभियान चलाया जायेगा।

दीनदयाल रसोई योजना के प्रभावी संचालन को लेकर जिला अनुश्रवण समिति की बैठक संपन्न

नवभारत न्यूज

छिंदवाड़ा,16 मार्च.कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय छिंदवाड़ा के मिनी सभाकक्ष में दीनदयाल रसोई योजना के प्रभावी संचालन को लेकर जिला अनुश्रवण समिति की बैठक ली। बैठक में नगर निगम छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम अहके और नगर निगम आयुक्त सी.पी. राय उपस्थित थे। बैठक में नगर निगम छिंदवाड़ा सहित जिले में संचालित स्थायी एवं चलित रसोई के संचालन और व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि दीनदयाल रसोई योजना के तहत जरूरतमंदों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। शासन के निर्देशों के अनुसार योजना में स्थायी रसोई के साथ-साथ चलित रसोई का संचालन भी किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक भोजन की सुविधा पहुंच सके। कलेक्टर श्री नारायन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रसोई केंद्रों का संचालन पारदर्शी तरीके से किया जाए और भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता तथा समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए। योजना के

तहत भोजन वितरण का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित है। बैठक में जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की भूमिका पर भी चर्चा की गई। समिति द्वारा रसोई केंद्रों के संचालन, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, साप्ताहिक मेन्यू निर्धारण तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को लेकर विचार-विमर्श किया गया।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में शहर में दीनदयाल रसोई योजना के अंतर्गत तीन स्थायी एवं एक चलित रसोई का संचालन किया जा रहा है। पहली रसोई व्यापारी संघ, गंज में संचालित है, दूसरी गुरैया रोड स्थित सब्जी मंडी में, तीसरी जिला अस्पताल परिसर में संचालित की जा रही है, जबकि चौथी चलित रसोई के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत प्रति थाली भोजन में रोटी, चावल, दाल और सब्जी उपलब्ध कराई जाती है। शासन के निर्देशानुसार लाभार्थियों से प्रति थाली 5 रुपये शुल्क लिया जा रहा है, जबकि शेष राशि राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाती है। बैठक में औद्योगिक केंद्रीय विकास निगम के प्रबंध संचालक, जिला खाद्य अधिकारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, जिला परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण, अनाज व्यापारी संघ के अध्यक्ष तथा सब्जी मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

ग्राम स्वराज्य भवन महलपुर में प्रस्फुटन समितियों का क्षमता वर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

नवभारत न्यूज

छिदवाड़ा,16 मार्च. प्रस्फुटन शक्ति संचय अभियान के अंतर्गत मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड मोहखेड़ के सेक्टर क्रमांक 01 (मोहखेड़) की प्रस्फुटन समितियों के लिए एक दिवसीय क्षमता वर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम स्वराज्य भवन महलपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक समन्वयक भवानीप्रसाद कुमरे ने परिषद की अवधारणा, योजनाओं तथा प्रस्फुटन समितियों के कार्यों के बारे में प्रतिभागियों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने समग्र ग्राम विकास की अवधारणा पर चर्चा करते हुए बताया कि आदर्श ग्राम के निर्माण के लिए सबसे पहले व्यक्ति का स्वयं का आचरण, व्यक्तित्व और निःस्वार्थ भावना होना आवश्यक है। प्रस्फुटन समितियों को समग्र ग्राम विकास की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए सभी को साथ लेकर आदर्श स्थापित करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। परामर्शदाता कैलाश सोनेवार ने जन अभियान परिषद की परिकल्पना के प्रमुख आयाम स्वैच्छिकता, सामूहिकता एवं स्वावलंबन को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाया। उन्होंने परिषद द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं प्रस्फुटन, नवांकुर, सृजन एवं सीएमसीएलडीपी के संबंध में विस्तार से मार्गदर्शन प्रदान किया।

राज्य शिक्षक संघ की बैठक संपन्न, लिये गये निर्णय

सिवनी नवभारत। मप्र के स्कूलों में 25-30 वर्षो से शिक्षा का अलख जगाने वाले शिक्षक को अब अपनी नौकरी बचाने के लिये शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी होंगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिये शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य किया गया है। जबकि अधिनियम लागु होने से पहले शिक्षक शासन की भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करके ही नौकरी में आये है। राज्य शिक्षक संघ की और से जारी विग्यप्ति में जिला सचिव राकेश दुबे ने बताया की लोक शिक्षण संचालणालय भोपाल के एक आदेश के अनुसार जिन शिक्षकों ने ञ्ञश्वञ्ञ उत्तीर्ण नहीं की है उन्हें आगामी जुलाई /अगस्त महीने में परीक्षा में शामिल होना होगा !इस संबंध में राज्य शिक्षक संघ की जिला इकाई की बैठक सिबनी में आयोजित की और ञ्ञश्वञ्ञ परीक्षा के विरोध में सरकार से लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय तक संघर्ष की तैयारी का आह्वान किया गया।

कार्यालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा मध्य प्रदेश एवं पदेन उप सचिव मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग

(अधिसूचना)

कमांक /863343 / भू-अर्जन / 2026 छिन्दवाड़ा, दिनाँक 06/03/2026

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-: अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	हर्रई
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम- चकरपाट प.ह.न-36 बं0न0-20. रा.नि.मं.-हर्रई
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-01.432 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	110	1.432
	योग:-	कुल रकबा-01.432 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है शक्कर पेंच संयुक्त परियोजना (फेस-2) अंतर्गत श्क्कर बांध से डूब क्षेत्र हेतु अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-अमरवाडा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

Digitally signed by Harendra Narayan Date: 06-03-2026 18:12:37

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(हरेंद्र नारायन)
कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग

G-27436/25

CENTRUM Home Loans
Aao milkar ghar banaye

कॉर्पोरेट एवं रजिस्टर्ड ऑफिस : यूनिट नं. 801, सेन्ट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई- 400098,
CIN No. U65922MH2016PLC273826

डिमांड नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पढ़ा जाए

नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं. प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता/ओं (उक्त उधारकर्ता) को उन्हें जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस/ओं में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दी गई हैं. उपरोक्त के संबंध में, उक्त उधारकर्ता को एक बार फिर से नोटिस दिया जाता है कि वह इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर, नीचे दर्शाई गई राशियों को, बकाया राशि के पूर्ण पुनर्भुगतान की तिथि तक ब्याज और अन्य शुल्कों सहित सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को चुकाए. जैसा कि उक्त डिमांड नोटिस में विस्तृत रूप से बताया गया है, नीचे उल्लिखित तिथियों से लेकर भुगतान और/या वसूली की तिथि तक, उक्त उधारकर्ताओं द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ ऋण समझौते के तहत देय है. ऋण की उचित चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित परिसंपत्तियों को क्रमशः उक्त उधारकर्ताओं द्वारा सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को गिरवी रखा गया है.

क्र.	ऋण खाता संख्या/ उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ गारंटर का नाम	कुल बकाया राशि (रु.)	एनपीए तिथि सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि एफसीएल तिथि	सिक्योर्ड एसेट्स (अचल संपत्ति) का विवरण
1.	JLRCW21005789 और JLRCW21006043 संतोष कुमार उइके / रितु उइके	रुपये 18,12,628.00 (रुपये अट्ठारह लाख बारह हजार छह सौ अट्ठाइस मात्र)	03-02-2026 05-03-2026 27-02-2026	अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और पार्सल में, खसरा क्रमांक 43/1/3/14, एडमेजरिंग 127.78 वर्ग मीटर, वार्ड क्रमांक 35, मौजा-इमलीखेड़ा, कुलबेहरा वार्ड, बी. क्रमांक 07, पीएच क्रमांक 15, आरएनएम छिंदवाड़ा-2, तहसील एवं जिला - छिंदवाड़ा-480111, मध्य प्रदेश. सीमाएँ- पूर्व- कच्चा रोड, पश्चिम- धुर्वे का भूखंड, उत्तर- उइके का भूखंड, दक्षिण- कहार की भूमि.

यदि उक्त उधारकर्ता सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अधिनियम की धारा 13 (4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से लागत और परिणामों के रूप में उक्त उधारकर्ताओं के जोखिम पर होगी. उक्त उधारकर्ताओं को अधिनियम के तहत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है. कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, वह अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा.

स्थान: मध्यप्रदेश
तिथि: 17/3/2026

हस्ता./.
अधिकृत अधिकारी
कृते सेंट्रम हाउसिंग फायनेंस लि.

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय : 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013.
सर्किल ऑफिस : 9-बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, राजिन्द्र पैलेस, नई दिल्ली-110060

APPENDIX-IV-A [नियम 8 (6) और 9 (1) का प्रोविज़ो देखें]

अचल प्रॉपर्टी की बिक्री के लिए सेल नोटिस

सिक्योरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के तहत अचल एसेट्स की बिक्री के लिए ई-ऑक्शन सेल नोटिस, सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 8 (6) और 9 (1) के प्रोविज़ो के साथ पढ़ा गया. यह नोटिस आम जनता और खास तौर पर देनदार (ओं) और गारंटर (गारंटर) की नीचे बताई गई अचल प्रॉपर्टी, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास गिरवी/चार्ज की गई है, और जिसका कंस्ट्रक्टिव/फिजिकल कब्ज़ा कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड सिक्योर्ड क्रेडिटर के ऑथराइज़्ड ऑफिसर ने ले लिया है, उसे नीचे बताई गई तारीखों पर 'जैसी है जहाँ है', 'जैसी है जैसी है', और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जाएगा, ताकि कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड सिक्योर्ड क्रेडिटर को नीचे बताए गए देनदार से बकाया रकम की रिकवरी हो सके. रिज़र्व प्राइस, ईएमडी रकम और प्रॉपर्टी की जानकारी नीचे दी गई है:-

स. क्र.	1. देनदारों के नाम 2. कुल बकाया राशि	गिरवी रखी संपत्ति का विवरण	1. ई-नीलामी की तिथि और समय 2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. संपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय	1. रिजर्व मूल्य 2. संपत्ति की ईएमडी 3. इंक्रेमेंटल मूल्य
1.	1. श्री बब्लू नंदवंशी (देनदार) 2. श्रीमती रुकमणी नंदवंशी (सह-देनदार) लोन खाता नं. LNMECHH000068007/8030 0005583337 रु. 28,16,368/- (रु. अट्ठाइस लाख सोलह हजार तीन सौ अड़सठ मात्र) दिनांक 12.3.2026 तक, साथ ही लागू होने वाला भविष्य का ब्याज भी.	ग्राउंड फ़्लोर पर घर का पूरा हिस्सा, एरिया 7534.73 Sq Ft (700.25 Sq. Mts), खसरा नंबर 113/3/1/2, PH नंबर 14, B नंबर 108, मौज़ा खुनाझिर खुर्द, सर्किल साओरी, तहसील मोहखेड़, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश 480001 वाली ज़मीन पर, इस तरह घिरा हुआ है- खसरा नंबर 113/3 के लिए, उत्तर- बैतूल छिंदवाड़ा रोड, दक्षिण- कच्चा रास्ता, पूर्व- गवांडे की ज़मीन, पश्चिम- रामाधार नंदवंशी की ज़मीन.	1. ई-नीलामी तिथि 24.4.2026 (दोपहर 3 से 4 बजे) 2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि केवायसी के साथ 23.4.2026 3. निरीक्षण की तिथि 22.4.2026	रिजर्व मूल्य रु. 38,10,000/- (रु. अड़तीस लाख दस हजार मात्र) ईएमडी रु. 3,81,000/- (रु. तीन लाख इक्यासी हजार मात्र) इंक्रेमेंटल मूल्य रु. 30,000/- (रु. तीस हजार मात्र)

बिक्री की पूरी शर्तों और नियमों के लिए, कृपया कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट यानी www.Capriglobal.in/auction/ पर दिए गए लिंक को देखें.

ऑनलाइन ई-ऑक्शन सेल के नियम और शर्तें :-

1. प्रॉपर्टी 'जैसी है जहाँ है, जैसी है वैसी ही और बिना किसी सहारे के' के आधार पर बेची जा रही है इसलिए, बिक्री किसी भी तरह की वारंटी और हर्जाने के बिना है.
2. ई-ऑक्शन सेल नोटिस में बताई गई प्रॉपर्टी/एसेट्स की जानकारी (जैसे कि सीमा और माप) सिक्योर्ड क्रेडिटर की सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार बताई गई है और सिक्योर्ड क्रेडिटर किसी भी गलती, गलत बयान या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा. असल में मौजूद मात्रा और माप अलग हो सकते हैं.
3. सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा जारी किया गया ई-ऑक्शन सेल नोटिस आम जनता को अपनी बोलियां जमा करने के लिए एक इनविटेशन है और यह सिक्योर्ड क्रेडिटर की ओर से कोई कमिटमेंट या कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है और न ही माना जाएगा. इंटरेस्टेड बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास मौजूद टाइटल डीड की कॉपी देख लें और अपनी इंडिपेंडेंट जांच करें. बिड जमा करने से पहले प्रॉपर्टी/एसेट्स के टाइटल और मौजूदा हालत और प्रॉपर्टी से जुड़े क्लेम/ड्यूज़ के बारे में पूछताछ/ड्यू डिलिजेंस.
4. ऑक्शन/बिडिंग सिर्फ़ ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड से होगी, जो वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net या ऑक्शन टाइगर मोबाइल APP के ज़रिए होगी, जो सर्विस प्रोवाइडर M/S eProcurement Technologies Limited, अहमदाबाद देगा. वे ई-ऑक्शन प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए ऑक्शन के पूरे प्रोसेस को अरेंज और कोऑर्डिनेट करेंगे.
5. बिडर्स अपनी पसंद की जगह से बिडिंग के लिए ई-ऑक्शन में हिस्सा ले सकते हैं. इंटरनेट कनेक्टिविटी बिडर्स को खुद पक्की करनी होगी. सिक्योर्ड क्रेडिटर/सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क प्रॉब्लम, सिस्टम क्रेश, पावर फेलियर वगैरह के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
6. ई-सक्शन पर डिटेल्स, मदद, प्रोसेस और ऑनलाइन बिडिंग के लिए, होने वाले बिडर्स सर्विस प्रोवाइडर M/S E-Procurement Technologies Ltd. ऑक्शन टाइगर, अहमदाबाद (कॉन्टैक्ट नंबर) से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. 079-61200531/576/596/559/598/587/594/.), श्री रामप्रसाद शर्मा मोबाइल 800-002-3297/ 79-6120 0559. ईमेल: ramprasad@auctiontiger.net..
7. ई-ऑक्शन सेल में हिस्सा लेने के लिए, जो बोली लगाना चाहते हैं, उन्हें अपना नाम https://sarfaesi.auctiontiger.net पर पहले से रजिस्टर कर लेना चाहिए और यूज़र आईडी और पासवर्ड ले लेना चाहिए. जो बोली लगाना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि सर्विस प्रोवाइडर से पासवर्ड मिलने के तुरंत बाद ही उसे बदल दें.
8. ई-ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए, जो बोली लगाना चाहते हैं, उन्हें रिज़र्व प्राइस (जैसा कि ऊपर बताया गया है) का 10 प्रतिशत रिफंडेबल ईएमडी जमा करना होगा, जो इच्छुक बोली लगाने वालों को कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट NEFT/RTGS के ज़रिए 23.04.2026 को या उससे पहले देना होगा.
9. बोली लगाने वाले लोगों को सही तरीके से भरा हुआ बिड फ़ॉर्म (फ़ॉर्मेट https://sarfaesi.auctiontiger.net पर उपलब्ध है) और ईएमडी के लिए डिमांड ड्रॉफ्ट के साथ एक सीलबंद लिफाफे में ऑथराइज्ड ऑफिसर, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड रीजनल ऑफिस यूनिट नंबर 101-103, फर्स्ट फ्लोर, प्लॉट नंबर 103/4, कृष्णा टॉवर, स्कीम नंबर 140, ICICI बैंक के ऊपर, पिपल्याने स्क्वायर इंदौर, मध्य प्रदेश के पते पर 23.04.2026 को दोपहर 03.00 बजे तक जमा करना होगा. सीलबंद लिफाफे पर ई-ऑक्शन सेल में भाग लेने के लिए बिड लिखा होना चाहिए -- लोन अकाउंट नंबर (जैसा कि ऊपर बताया गया है) में बॉरोअर का नाम की प्रॉपर्टी के लिए.
10. ईएमडी के साथ बिड जमा करने की आखिरी तारीख खत्म होने के बाद, ऑथराइज्ड ऑफिसर उन्हें मिली बिड की जांच करेगा और क्वालिफाइड बिडर्स (जिन्होंने अपनी बिड कोट की है) की डिटेल्स कन्फर्म करेगा और रिज़र्व प्राइस से ज़्यादा और सिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ तय ईएमडी का पेमेंट किया है) सर्विस प्रोवाइडर M/S eProcurement Technologies Limited को ताकि वे सिर्फ़ उन्हीं बिडर्स को ई-ऑक्शन सेल नोटिस में बताई गई तारीख और समय पर ऑनलाइन इंटर-से बिडिंग/ऑक्शन की कार्रवाई में हिस्सा लेने की इजाज़त दे सकें.
11. क्वालिफाइड बिडर्स के बीच इंटर-से बिडिंग, क्वालिफाइड बिडर्स द्वारा लगाई गई सबसे ज़्यादा बोली से शुरू होगी. इंटर-से बिडिंग के प्रोसेस के दौरान, हर बार 10 मिनट का अनलिमिटेड एक्सटेंशन होगा, और अगर आखिरी एक्सटेंशन से 10 मिनट के अंदर बोली लगाई जाती है, तो ई-ऑक्शन का आखिरी समय हर बार अपने आप 10 मिनट बढ़ जाएगा.
12. एक बार लगाई गई बिड कैंसिल या वापस नहीं ली जाएंगी. बिड करने वाले को दी गई यूज़र आईडी से लगाई गई सभी बिड सिर्फ उसी के द्वारा लगाई गई मानी जाएंगी.
13. ई-ऑक्शन की कार्रवाई बंद होने के तुरंत बाद, सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाला, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के ऑथराइज़्ड ऑफिसर को E-Mail से अपनी बताई गई बोली की आखिरी रकम कन्फर्म करेगा. रीजनल ऑफिस यूनिट नंबर 101-103, फर्स्ट फ्लोर, प्लॉट नंबर 103/4, कृष्णा टॉवर, स्कीम नंबर 140, ICICI बैंक के ऊपर, पिपलियाने स्क्वायर इंदौर, मध्य प्रदेश और सर्विस प्रोवाइडर को ई-ऑक्शन सेल की कार्रवाई में सफल बोली लगाने वाला घोषित करने के लिए.
14. सफल बोली लगाने वाले को बिक्री के उसी दिन बोली की रकम (EMD सहित) का 25% जमा करना होगा, जो उसके पक्ष में होगा और बाकी 75% बोली की रकम बिक्री की तारीख से 15 दिनों के अंदर कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के पक्ष में DD/पेऑर्डर/NEFT/RTGS/Chq से जमा करनी होगी.
15. अगर सफल बोली लगाने वाला/नीलामी खरीदने वाला तय समय के अंदर ऊपर बताई गई रकम का पेमेंट नहीं करता है, तो बिक्री कैंसिल कर दी जाएगी और पहले से चुकाई गई रकम (EMD सहित) ज़ब्त कर ली जाएगी और प्रॉपर्टी को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा.
16. सफल बोली लगाने वाले के कहने पर, ऑथराइज़्ड ऑफिसर अपनी मर्जी से बोली की बाकी रकम जमा करने के लिए लिखकर और समय दे सकता है.
17. सफल बिडर को सेल प्राइस का 1% TDS (सेल से हुई कमाई में से) देना होगा और ऑथराइज़्ड ऑफिसर को TDS सर्टिफिकेट जमा करना होगा और सेल प्राइस की पूरी रकम (TDS के तौर पर 1% काटने के बाद) जमा करनी होगी, ऑथराइज़्ड ऑफिसर द्वारा ऑफर स्वीकार करने के 15 वर्किंग डेज़ के अंदर EMD को एडजस्ट करना होगा, या ऑथराइज़्ड ऑफिसर द्वारा ठीक समझे जाने वाले किसी दूसरे बढ़े हुए समय के अंदर, ऐसा न होने पर सबसे ज़्यादा जमा रकम ज़ब्त कर ली जाएगी.
18. म्युनिसिपल/पंचायत टैक्स, बिजली का बकाया (अगर कोई हो) और कोई दूसरी अथॉरिटी का बकाया (अगर कोई हो) सेल सर्टिफिकेट जारी होने से पहले सफल बिडर को देना होगा. प्रॉपर्टी से जुड़े सभी कानूनी बकायों को ध्यान में रखकर बिड लगाई जाएंगी.
19. ऑथराइज़्ड ऑफिसर द्वारा सफल बिडर के पक्ष में सेल सर्टिफिकेट तभी जारी किया जाएगा जब पूरी खरीद कीमत / बिड की रकम जमा कर दी जाएगी और सभी टैक्स/चार्ज के पेमेंट का ज़रूरी सबूत दिया जाएगा.
20. कन्वेयंस, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज और दूसरे इंसिडेंटल चार्ज के लिए लागू लीगल चार्ज ऑक्शन खरीदने वाले को देने होंगे.
21. ऑथराइज़्ड ऑफिसर बिना कोई कारण बताए ई-ऑक्शन सेल की कार्रवाई को टाल/कैंसल कर सकता है. अगर ई-ऑक्शन सेल की शेड्यूल तारीख से 30 दिन पहले किसी और तारीख के लिए टाली जाती है, तो इसे सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर दिखाया जाएगा.
22. ऑथराइज़्ड ऑफिसर का फैसला आखिरी, मानने वाला और बिना किसी सवाल के होगा.
23. जिन सभी बिडर्स ने बिड जमा की हैं, उन्हें ई-ऑक्शन सेल के टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ और समझ लिया गया माना जाएगा और वे उनसे बंधे हुए हैं.
24. प्रॉपर्टी में पड़ी चल-अचल चीज़ें इस सेल का हिस्सा नहीं हैं.
25. कृपया ध्यान दें कि अकेले बिडर के हिस्सा न लेने पर ज़ब्त हो जाएगा. अगर EMD जमा करने के बाद सिर्फ़ एक बिडर एलिजिबल पाया जाता है, तो ऐसे बिडर को तय तारीख और समय पर लॉग इन करके लाइव ई-ऑक्शन में हिस्सा लेना ज़रूरी है. सिर्फ़ बिड फ़ॉर्म जमा करना और EMD जमा करना हिस्सा लेना नहीं माना जाएगा. अगर अकेला एलिजिबल बिडर किसी भी वजह से (ई-ऑक्शन सर्विस प्रोवाइडर की सर्टिफाइड टेक्निकल खराबी को छोड़कर) लाइव ई-ऑक्शन में लॉग इन करने और हिस्सा लेने में फेल हो जाता है, तो EMD बिना किसी और नोटिस के अपने आप ज़ब्त हो जाएगी, और ऑथराइज़्ड ऑफिसर ऑक्शन कैंसिल करने और/या बिडर के प्रति किसी भी लायबिलिटी के बिना नया ऑक्शन करने के लिए आज़ाद होगा.
26. ज़्यादा जानकारी और सवालों के लिए, ऑथराइज़्ड ऑफिसर, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के श्री संदेश जैन मो. नंबर 8839140796, श्री अजीत कुमार मो. नंबर 9910198552 से संपर्क करें.
27. यह पब्लिकेशन सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स 2002 के रूल 8(6) और 9 (1) के तहत ऊपर बताए गए लोन अकाउंट के बॉरोअर/मॉर्गेजर/गारंटर को ऊपर बताई गई तारीख/जगह पर ऑक्शन सेल करने के बारे में 30 (तीस) दिन का नोटिस भी है.

खास निर्देश/सावधानी

बोली लगाने वालों को अपने फायदे के लिए आखिरी मिनटों/सेकंड में बोली लगाने से बचना चाहिए. ऐसे मामलों में न तो कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड और न ही सर्विस प्रोवाइडर बोली लगाने वाले की तरफ से किसी भी चूक/फेलियर (इंटरनेट फेलियर, पावर फेलियर, वगैरह) के लिए जिम्मेदार होगा. ऐसी अचानक आने वाली स्थिति से बचने के लिए, बोली लगाने वालों से रिक्वेस्ट है कि वे सभी ज़रूरी इंतज़ाम / दूसरे ऑप्शन जैसे बैक-अप पावर सप्लाई और जो भी ज़रूरी हो, कर लें ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में कामयाबी से हिस्सा ले सकें.

स्थान: छिन्दवाड़ा
तारीख: 17 मार्च, 2026

Sd/- (ऑथराइज़्ड ऑफिसर)
कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड